## प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

(8)- हनुमानगढ़ विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान ( राज्य ) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि-

श्री गणेशराज बंसल, पताः- आई - 273 सिविल लाईन, वार्ड न0 1 हनुमानगढ़ जं. 335512 जो निर्दलीय (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान **हनुमानगढ़** दिनांक ०३ **दिसम्बर** २०२३



(स्थित)या) तिर्द्धितिमाधिक्रामिक्सर ((ख्युबण्खण्डीव्डिक्डिकारी एवं उप्पक्षण्डाम्हर्मानाह्न) विधानसभा विवाचन क्षेत्र (४) होन्सनगढ़) विधानसभा निवाचन क्षेत्र (४) होनुसानगढ़

## FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from (8) Hanumangarh Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri GANESHRAJ BANSAL, Address- I-273 CIVIL LINE, WARD NO. 1 HANUMANGARH JN, 335512 sponsored by INDEPENDENT has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place HANUMANGARH Date 03 December 2023

Returning Officer
(Sub Divisional Officer And
Sub Divisional Officer And
Sub Divisional Magastret qualification arrangement)
Assembly Constituency (8) I furning any arh